कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला–कोरिया बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

// आदेश //

बैकुण्ठपुर, दिनांक 21.03.2020

क्रमांक/1564/एस.डब्ल्यू/(COVID-19)/2020 :– WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत तद्संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कोरिया की समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु निम्नलिखित संस्थानों :–

सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज) मेडिकल स्थापनाऐं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे) एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाऐं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्य लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के सन्दर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक बेकरी दुकानों

को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, आदि को **दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त** तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबंधित इकाईयों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

टीप :– शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तर्गत **कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी** किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

21/3/2020

(डोमन सिंह)

जिला दण्डाधिकारी

एवं जिला दण्डाधिकारी

कोरिया (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

पृ0 क्रमांक/1565/एस.डब्ल्यू/(COVID-19)/2020 **बैकुण्ठपुर,** दिनांक 21.03.2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त (रा0), सरुगजा संभाग, अम्बिकापुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को सूचनार्थ।
9. अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, जिला कोरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरिमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, कोरिया को सूचनार्थ।
13. मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया को सूचनार्थ।
14. समस्त तहसीलदार एवं नायाब तहसीलदार जिला कोरिया को सूचनार्थ।
15. आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी, की ओर सूचनार्थ।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. जिला आबकारी अधिकारी, कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. सर्व संबंधित जिला कोरिया को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया (छ0ग0)

21/3/2020

कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरिया, (छ0ग0)

Scanned by CamScanner